

Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
06/10/17	<p>राज्य द्वारा एडीपीओ।</p> <p>अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री तेजपाल तोमर।</p> <p>प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।</p> <p>फरियादी गुड्डू उर्फ नरेन्द्रसिंह उप0। उसकी ओर से अधिवक्ता श्री एस0एस0 तोमर ने मेमो पेश किया।</p> <p>उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।</p> <p>उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री पंकज शर्मा, जेएमएफसी गोहद का चुनाव किया है।</p> <p>अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष दिनांक 06.10.17 को 3 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।</p> <p>प्रकरण आगामी दिनांक 27.10.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।</p> <p>(A.K.Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)</p> <p>पुनश्च:</p> <p>उभयपक्ष पूर्ववत्।</p> <p>प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।</p> <p>फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320, द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री आर0एस0 तोमर एवं अभियुक्त की पहचान उनके अधिवक्ता श्री तेजपाल तोमर द्वारा की गई।</p> <p>उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोम-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>

Date of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Sign
Parties
Pleadings
necessary

अभियुक्त पर भा0द0वि0 की धारा 504, 325 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 504, 325 भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति नहीं है। आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

समस्त
समाधान
है।

के समस्त
पक्षकार

दिनांक 25/05/2019

मि. म. 25/5/2019